



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1320]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2013/ज्येष्ठ 17, 1935

No. 1320]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2013/JYAISTHA 17, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2013

का.आ. 1487(अ).—यतः यहाँ नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11-12-2012 की का.आ. सं. 2870(ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित पूछताछ एवं सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार किया गया और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित भी किए गए।

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत सरकार के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

मुख्य योजना 2021 के अध्याय 17 विकास कोड के उप-खण्ड 8(2) में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है। नोट के पैरा (V) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा।

vi “नये अस्थायी सिनेमाघरों को अनुमति नहीं होगी तथापि, मौजूदा अस्थायी सिनेमाघरों को नीचे दी गई शर्तों के अनुसार स्थायी आधार पर चलाने की अनुमति होगी”।

- |      |                                      |   |
|------|--------------------------------------|---|
| i.   | सीटों की संख्या                      | —न्यूनतम 300 सीटें जो एक अथवा अधिक सिनेमा हॉल में हो सकती हैं।                  |
| ii.  | सामने की सड़क का न्यूनतम मार्गाधिकार | —18 मी  |
| iii. | पार्किंग की आवश्यकता                 | —निर्मित क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग मीटर 3 ई सी एस (प्लॉट क्षेत्र में)           |
| iv.  | अधिकतम तल कवरेज                      | —50 प्रतिशत (दि.मु.यो. 2021 के अनुसार न्यूनतम सैट बैंक के पालन की शर्त के अधीन) |

- v. एफ ए आर —3000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र के अध्यक्षीन 1001 यदि प्लॉट का आकार 4000 वर्ग मी. से अधिक हो और वह 24 मीटर के मार्ग में स्थित हो तो यातायात प्रभाव का अध्ययन कराने, सड़क की चौड़ाई की उपलब्धता और आस-पास के विकास के अध्यक्षीन 4000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा ताकि इससे उस क्षेत्र में यातायात की भीड़-भाड़ न हो ।
- vi. प्लॉट का आकार —न्यूनतम 1200 वर्ग मी. एवं अधिकतम 4000 वर्ग मी. । यदि किसी सिनेमाघर में अधिक भूमि है तो शेष क्षेत्र हरित क्षेत्र होगा ।
- vii. अधिकतम अनुमेय ऊंचाई —15 मी.
- viii. 300 सीट वाले सिनेमा हाल की क्षमता के लिए अपेक्षित स्थान को छोड़कर वाणिज्यिक गतिविधियां अनुमेय होंगी । गतिविधि हेतु अनुमेय वाणिज्यिक स्थल, एमपीडी, 2021 में विपणन केन्द्र (एलएससी) के लिए अनुरोध स्थल के बराबर होगा ।
- ix. सिनेमाघर सिनेमाटोग्राफी एक्ट और अन्य सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप हो । मल्टीप्लेक्सों को तदनुसार अनुमति होगी ।
- x. भूमि उपयोग परिवर्तन प्रभार, एफ ए आर प्रभार, सुधार शुल्क और अन्य प्रभार सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदन अनुसार लिए जाएंगे ।
- xi. स्थानीय निकाय और लाइसेंसिंग प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे की लाइसेंस नवीनीकरण से पहले उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन कर लिया है ।
- xii. सरकारी भूमि पर मौजूद अस्थायी सिनेमाघरों को जारी नहीं रखा जाएगा ।
- xiii. इस प्रकार के मामलों में यदि बड़े सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है तो उसे संबंधित स्थानीय एजेंसियों द्वारा स्थानीय क्षेत्र आवश्यकता/मुख्य योजना प्रावधानों के अपुसार अधिग्रहित और विकसित किया जाएगा ।

भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए दिल्ली मुख्य योजना 2021 में आवश्यक प्रावधान करने के पश्चात् प्रत्येक मामले में उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित प्लॉट क्षेत्रों में पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं ।

[फा. सं. के-12011/1/2013-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2013

**S.O. 1487(E).**—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 2870 (E) dated 11.12.2012 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by a Board of Enquiry and Hearing, set up by Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan of Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

#### Modification :

A new Para (vi) is inserted after Para (v) of the notes under sub-clause 8(2) of Chapter 17. Development Code as under :

- (vi) **New Temporary cinemas shall not be permissible, however already existing Temporary Cinemas shall be allowed to continue on permanent basis as per the conditions given below :**



- |        |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| (i)    | Seat capacity   | — | Minimum 300 seats in one or more cinema halls.  |
| (ii)   | Minimum road R/W in front   | — | 18 mt.  |
| (iii)  | Parking requirement   | — | 3 ECS per 100 sqmt of Built up space (With in Plot Area).   |
| (iv)   | Maximum ground coverage   | — | 50% (subject to minimum setbacks as per MPD-2021 to be adhered).  |
| (v)    | FAR   | — | 100 subject to a maximum built up area of 3000 sqmt.<br><br>In case, the plot size is more than 4000 sq. m and is located on 24m ROW, maximum FAR allowed not to exceed 4000 sqm subject to under taking traffic impact study, availability of the road width and the surrounding developments so that it may not cause traffic congestion in the area. |
| (vi)   | Plot Size   | — | Min. 1200 sq. mts. & max 4000 sq. mts. In case a Cinema hall has more land, the rest of the area would be kept Green.   |
| (vii)  | Max. Permissible Height   | — | 15 mts.   |
| (viii) | Commercial activity shall be permissible after excluding the space required for capacity of 300 seated cinema hall. The commercial space will be for the activities as permissible for Local Shopping Centre (LSC) in MPD-2021. |   |   |
| (ix)   | Cinema would conform to the Cinematography act and other statutory provisions. Multiplexes shall accordingly be permissible.  |   |   |
| (x)    | Land Use conversion charges, FAR charges, betterment levies and other charges will be levied as approved by the Government from time to time.   |   |   |
| (xi)   | The local body and licensing Authorities shall ensure that the above conditions are complied before renewing the license.   |   |   |
| (xii)  | The temporary cinema existing on government land shall not continue.  |   |   |
| (xiii) | The excess land in such cases if required for larger public purposes shall be acquired and developed as per the local area needs/Master Plan provisions by the concerned local agencies.  |   |   |

Individual cases will be processed as per the above provisions after the enabling provisions are made in the MPD- 2021 for change of land use.

It should be ensured that adequate parking facilities are provided within the respective plots areas.

[F. No. K-12011/1/2013-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.